सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 464 राँची, शुक्रवार, 10 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 अगस्त, 2025

संख्या-5/आरोप-1-147/2017-32648 (HRMS)--श्री अरूण उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-328/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो के विरूद्ध उपायुक्त, बोकारो के ज्ञापांक-604/स्था०, दिनांक 26.09.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री उराँव को निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक 19.09.2017 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ।

श्री उराँव को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में विभागीय आदेश सं०-10456, दिनांक 09.10.2017 द्वारा इनको दिनांक 19.09.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया तथा हिरासत से मुक्ति के पश्चात् श्री उराँव द्वारा विभाग में योगदान दिया गया, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-148(HRMS), दिनांक 15.02.2018 द्वारा श्री उराँव का योगदान स्वीकृत करते हुए पुनः निलंबित किया गया ।

विभागीय पत्रांक-10613, दिनांक 13.10.2017 द्वारा उपायुक्त, बोकारो से श्री उराँव के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप पत्र की माँग की गयी। उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक- 87/स्था0, दिनांक 16.02.2019 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

श्री उराँव द्वारा निलंबन से मुक्त करने के संबंध में अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री उराँव से प्राप्त अभ्यावेदन एवं मामले के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं0-2503, दिनांक 25.03.2019 द्वारा श्री उराँव को इस शर्त के साथ निलंबन मुक्त किया गया कि इनके निलम्बन अवधि का विनियमन इनके विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-26/17 में पारित न्यायादेश के आलोक में किया जायेगा ।

श्री उराँव के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0-2658(HRMS), दिनांक 10.06.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-199, दिनांक 03.09.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है-

(i) श्री संतोष कुमार, सहायक के एरियर का भुगतान, उनका वेतन भुगतान नियमित नहीं रहने के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का सत्यापन नहीं होने के कारण लम्बित रखा गया था। साथ ही आवंटन की कमी रहने के कारण दिनांक 30.08.2017 के बाद आरोपी के कार्यकाल में दिनांक 19.09.2017 तक किसी भी अन्य कर्मी का एरियर वेतन की निकासी हेतु विपत्र हस्ताक्षरित नहीं किया गया। परिवादी श्री संतोष कुमार, सहायक के साथ-साथ नावाडीह प्रखंड के अन्य सात कर्मियों का भी एरियर भुगतान आरोपी के कार्यकाल में लम्बित था। अतः आरोपी के विरूद्ध यह आरोप कि परिवादी को बेवजह परेशान करने अथवा उनसे नाजायज लाभ प्राप्त करने की नीयत से आरोपी के द्वारा परिवादी के एरियर का भुगतान नहीं किया गया, सत्य नहीं प्रतीत होता है ।

(ii) शिकायतकर्त्ता को फरवरी, 2017 के वेतन के रूप में 20,531/- रू० एवं मार्च तथा अप्रैल, 2017 के वेतन के रूप में 48,056/- रू० अर्थात् कुल 68,587/- रू० का भुगतान किया गया। मात्र 68,587/- रू० वेतन भुगतान करने के एवज् में प्रखंड विकास पदाधिकारी (आरोपी के द्वारा) 40,000/- रू० रिश्वत की मांग की गई होगी, यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है ।

(iii) 35,000/- रू० की बरामदगी नावाडीह प्रखंड के दैनिक वेतनभोगी चालक कलीम अंसारी के पास से की गई। आरोपी के पास से पैसे की बरामदगी नहीं हुई और न ही उनके आवास से कोई आपत्तिजनक चीज बरामद हुई ।

(iv) संचालन पदाधिकारी के द्वारा पूछताछ के दौरान आरोपी के द्वारा प्रतिपरीक्षण के क्रम में कई बार पूछने पर भी शिकायतकर्ता के द्वारा यह नहीं कहा गया कि आरोपी ने उनसे पैसे की मांग की थी ।

(v) आरोपी के द्वारा शिकायतकर्ता से न तो रूपये लिये गये और न ही आरोपी के पास से रूपये की बरामदगी हुई ।

(vi) संचालन पदाधिकारी द्वारा निगरानी न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध प्रश्नगत मामला विचाराधीन रहने के कारण आपराधिक न्यायालय के द्वारा किये जाने वाले निर्णय की प्रतीक्षा करने की अनुशंसा की गई ।

आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित आरोप, इनका बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री उराँव के विरूद्ध इस मामले में निगरानी न्यायालय में चल रहे मामले के फलाफल तक कार्रवाई स्थगित रखने के निर्णय लिया गया ।

श्री उराँव द्वारा दिनांक 27.03.2025 को अभ्यावेदन समर्पित किया गया। उक्त अभ्यावेदन में श्री उराँव द्वारा Special Vigilance Case No. 26/2017 में श्री नीरज कुमार विश्वकर्मा, माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-ग् ए धनबाद द्वारा दिनांक 12.03.2025 को पारित न्यायादेश की प्रति संलग्न करते हुए दिनांक 19.09.2017 से 25.03.2019 तक के निलंबन अवधि का सेवा विनियमन, देय तिथि से पदोन्नति एवं वित्तीय लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया ।

Special Vigilance Case No. 26/2017 में माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-ग् ए धनबाद द्वारा दिनांक 12.03.2025 को पारित न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है-

"In view of the my above stated discussion regarding the institution verification, preparation of Dhawadal, raid by team, absence of recovery, absence of eye witness, mishandling the solutions for trap by not timely getting the report and so as for many other reasons. The prosecution could not able to prove its case beyond all shadows of reasonable doubts. Almost all the witness have even denied to have heard about the demand of bribe amount from the informant. The persons who are not named in the FIR they have been followed up. Even if at best recovery of notes is admitted for the purpose of discussion, then also it is clear that the prosecution could not prove the demand and acceptance pursuant to the said demand of the bribe money. Considering this fact and analysis of the evidence made by me in the aforesaid pages I am of firm him that no offence u/s 7 of PC Act as well as Sec. 13(2) r/w 13(1)(d) of PC Act could be proved against the accused persons. Therefore it is hereby ordered that the accused persons are not guilty in this case, they are acquitted from the charges levelled against them. They and their bailors stands stand discharged from the liabilities of their bail bonds."

उक्त आलोक में विभागीय पत्रांक-2102, दिनांक 09.04.2025 द्वारा उपायुक्त, बोकारो से Special Vigilance Case No. 26/2017 में दिनांक 12.03.2025 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध अपील दायर की गई है अथवा नहीं, के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गयी ।

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1042/विधि, दिनांक 02.07.2025 द्वारा पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पत्रांक-1973/अभि0, दिनांक 12.06.2025 की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी है। पुलिस अधीक्षक के उक्त पत्र में अंकित किया गया कि भ्र0नि0 ब्यूरो, धनबाद थाना कांड सं0-26/17 सम्प्रति वि0वाद सं0-26/17 में पारित निर्णयादेश के विरूद्ध ब्यूरो में पदस्थापित विधि परामर्शी के मंतव्य के आलोक में अपीलीय न्यायालय में ब्यूरो द्वारा अपील दायर नहीं किया गया है ।

अतः माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-ग्ए धनबाद द्वारा पारित आदेश में श्री उराँव को आरोप मुक्त करते हुए बरी किये जाने एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अरूण उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-328/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो को प्रस्तुत मामले में आरोप मुक्त किया जाता है ।

(ख) श्री उराँव के निलंबन अवधि दिनांक 19.09.2017 से 25.03.2019 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत् कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अरूण उराँव, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ARUN ORAON 110043181678	माननीय विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो)-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-ग्ए धनबाद द्वारा पारित आदेश में श्री उराँव को आरोप मुक्त करते हुए बरी किये जाने एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है- (क) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अरूण उराँव, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-328/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नावाडीह, बोकारो को प्रस्तुत मामले में आरोप मुक्त किया जाता है । (ख) श्री उराँव के निलंबन अवधि दिनांक 19.09.2017 से 25.03.2019 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के तहत् कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 464 - 50